### न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण कमांक:-525 / 2011 संस्थित दिनांक:-15 / 07 / 2011 फाईलिंग नंबर-230303004602011

> शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, मौ जिला—भिण्ड म0प्र0

> > अभियोजन

#### बनाम्

- 1. जयकुमार उर्फ जैकी पुत्र कमलसिंह यादव उम्र 26 वर्ष
- 2. सौरभ पुत्र सुरेशसिंह यादव उम्र 27 वर्ष
- 3. गुड्डा उर्फ रणवीरसिंह पुत्र वरजोरसिंह यादव उम्र 40 वर्ष निवासीगण-लोहारपुरा मौ थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा– 25(1–बी)ए आयुध अधिनियम एवं धारा 403 भा०द०स०)

(राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी जयकुमार एवं सौरभ द्वारा अधि० श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव) (आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर द्वारा अधि० श्री बी०एस०यादव)

\_\_\_\_\_\_

## // निर्णय // 🎺

//आज दिनांक 24/10/2017 को घोषित किया//

आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी पर दिनांक 29.03.11 को 10:45 बजे इटायदा पुलिया के पास मौ गोहद रोड पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लघन में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर का देशी कट्टा एवं 315 बोर का एक जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने तथा उसी समय डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 का बेईमानी से दुर्कविनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित करने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए एवं भा0द0स0 की धारा 403 तथा आरोपी सौरभ एवं गुड्डा उर्फ रणवीर पर घटना दिनांक समय व स्थान पर डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-07-एम. सी.3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग क उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 403 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.11 को पुलिस चौकी झांकरी के सहायक उपनिरीक्षक आर0एस0चौहान विवेचना एवं गश्त करते हुए वापिस झांकरी आये थे तो झांकरी बस स्टैण्ड पर बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0—07—एम.सी.—3742 पर दो लड़के पुलिस को देखकर तेजी से मोटरसाइकिल गोहद की तरफ मोडकर भागने लगे थे तो वहां मौजूद साक्षी जगदीश शर्मा एवं कमलेश के साथ मय फोर्स उसने आरोपीगण का पीछा किया था एवं इटायदा मोड़ पुलिया पर मोटरसाइकिल को रोका था तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा लड़का मोटरसाइकिल से कूदकर खेतों की तरफ भाग गया था तथा मोटरसाइकिल चला रहे लड़के को उसने गवाहों के समक्ष पकड़ा था एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयकुमार एवं भागने वाले लड़के का नाम गुड़डा यादव बताया था। उसने मौके पर ही मोटरसाइकिल चला रहे लड़के की तलाशी ली थी तो आरोपी की जींस पैन्ट के पीछे कमर में एक देशी 315 बोर का कट्टा मिला था जिसकी बैरल में 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा हुआ मिला था। आरोपी के पास कट्टा कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था और ना ही बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.सी.—3742 के कागजात थे। उसने आरोपी से मौके पर ही साक्षियों के समक्ष कट्टा कारतूस एवं मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती की एवं आरोपी जयकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात चौकी झांकरी वापिस आकर उसने आरोपी के विरूद्ध अप०क० 07/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया था तत्पश्चात पुलिस थाना मौ में अप०क० 49/11 पर असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं आरोपी गुड़डा तथा सौरभ को गिरफतार किया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार आरोपीगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये एवं आरोपीगण को आरोप पढकर सुनाय व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झुंठा फंसाया गया है
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-
- 1. क्या आरोपी जयकुमार ने दिनांक 29.03.11 को 10:45 बजे इटायदा पुलिया के पास मौ गोहद रोड पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में संचालनीय स्थिति वाला 315बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा ?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.सी.—3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग कर एवं उसे अपने उपयोग के सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध मे अभियोजन की ओर से साक्षी कमलेश आ०सा०1, जगदीश आ०सा०2, सुन्दरसिंह आ०सा०3, सुरेश दुबे आ०सा०4 प्रेमसिंह यादव अ०सा०5, योगेन्द्रसिंह अ०सा०6, सेवा निवृत्त ए०एस०आई० रामशरणसिंह चौहान अ०सा०7 एवं आरक्षक सुनील शर्मा आ०सा०8, को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव मे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

# [ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ] विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में सेवानिवृत्त ए.एस.आई. रामशरणिसंह चौहान अ०सा०७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 29.03.11 को इलाका गश्त एवं विवेचना करता हुआ अतरसोहा करवासा होता हुआ वापिस झांकरी बस स्टैण्ड पर आया था तो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल क्मांक एम०पी०–०७ एम.सी.—3742 पर दो लड़के पुलिस को देखकर तेजी से गोहद की ओर मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे थे उसने जगदीश शर्मा एवं कमलेश के साथ मय फोर्स

पीछा कर उन्हें मोड पुलिया पर रोका था तो पीछे बैठा लड़का मोटरसाइकिल से कूदकर खेतों की तरफ भाग गया था। मोटरसाइकिल चला रहे लड़के को मौके पर पकड़ लिया था उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक 315 बोर का देशी माउजर कट्टा मिला था कट्टे को खोलकर देखा था तो उसमें एक जिंदा राउण्ड मिला था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयकुमार एवं भागने वाले व्यक्ति का नाम गुडडू यादव बताया था। आरोपी के पास कट्टा एवं कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था उसने आरोपी से मौके पर ही 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी–2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन के संबंध में आरोपी के पास कोई कागज नहीं थे उसने मौके पर कट्टे का अक्स बनाया था जो प्र0पी–11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा रवानगी वापिसी सान्हा प्र0पी-12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उसने आरोपी जयकुमार के विरुद्ध चौकी झांकरी में प्र0पी–12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को ही साक्षी कमलेश एवं जगदीश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए थे। दिनांक 30.03.11 को उसने आरोपी जयकुमार से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी–8 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी सौरभ से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी–7 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी सौरभ को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनमा। प्र0पी–9 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी गुड़डा से पूछताछ कर प्र0पी–5 का मैमोरेण्डम बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी गुड्डा को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनमा। प्र0पी–13 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 का कट्टा एवं ए-2 का कारतूस वही कट्टा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त किए थे।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को पकड़ने के बाद सबसे पहले जप्ती की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण की तलाशी लेने के पहले अपनी तलाशी नहीं दी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए—1 एवं ए—2 पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी—12 की ए से ए भाग की इबारत उसने हाथ से लिखकर उस पर चिट चिपका दी है।
- 9. साक्षी कमलेश अ०सा०1 एं जगदीश अ०सा०2 जिन्हें जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानते हैं उन्हें पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं है। साक्षी कमलेश अ०सा०1 ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—2 के कमशः ए से ए भाग पर तथा साक्षी जगदीश अ०सा०2 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—2 के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी जयकुमार से 315 बोर का कट्टा जप्त किया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी जैकी को गिरफतार किया था।
- 10. साक्षी सुंदरसिंह अ०सा०३ ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने भी मात्र मैमोरेण्डम प्र०पी—5 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। साक्षी प्रेमसिंह यादव अ०सा०५ ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है

कि मैमोरेण्डम प्र0पी—7, 8 तथा गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—9 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

- 11. आरक्षक सुनील शर्मा अ०सा०८ नेअपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 30.03.11 को एएसआई आर०एस०चौहान ने उसके सामने आरोपी जयकुमार से चोरी के संबंध में पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र०पी—८ बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 09.05.11को एएसआई आर०एस०चौहान ने उसके सामने आरोपी गुड्डा से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र०पी—5 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 12. साक्षी योगेन्द्रसिंह अ०सा०६ द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी—10 को प्रमाणित किया गया है एवं सुरेश दुबे अ०सा०४ द्वारा जप्तशुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र०पी—6 को प्रमाणित किया गया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी योगेन्द्रसिंह आ०सा०६ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 27.05.11 को थाना मौ के आरक्षक लालजी त्रिपाठी द्वारा थाने के अप०क० 49/11 की केस डायरी जप्तशुदा आयुध सिहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी—10 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन के हस्ताक्षर है। उसने श्री रघुराज राजेन्द्रन के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 15. इस प्रकार योगेन्द्रसिंह आ०सा०६ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना मौ द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध केस डायरी सिहत तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री रघुराज राजेन्द्रन ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध आयध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।
- 16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहर्र सुरेश दुबे आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.05.11 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना मौ के अप0क0 49/11 मे जप्तशुदा 315 वोर के देशी कट्टे एवं 315 बोर के कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था कट्टे का ट्रिगर काम नहीं करता था कट्टा अनुपयोगी था कट्टे से फायर नहीं किया जा सकता था। एक 315 बोर का राउण्ड जिंदा चालू हालत में था जिससे फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी—6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

- 17. इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०४ ने अपने कथन में यह बताया है कि कट्टा चालू हालत में नहीं था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जप्तशुदा 315 बोर का राउण्ड जिंदा था एवं चालू हालत में था। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा कारतूस संचालनीय स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कारतूस संचालनीय स्थिति में था।
- 18. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कारतूस आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा था ? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता आर0एस0 चौहान अ0सा07 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक को वह इलाका गश्त एवं विवेचना करता हूं झांकरी बस स्टैण्ड पर आया था तो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-07-एम.सी.-3742 पर दो लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें उसने रोका था पीछे बैहा लड़का मोटरसाइकिल से कूदकर भाग गया था उसने मौके पर आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को पकड़ लिया था एवं आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का जिंदा राउण्ड जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 के कट्टे एवं ए-2 के कारतूस पर किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 में आर्टिकल ए-1 का कट्टा एवं ए-2 का कारतूस आरोपी जयकुमार से जप्त होने का उल्लेख है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्र0पी—12 के रोजनामचा वापिसी सान्हा में ए से ए भाग की इबारत हाथ से लिखकर चिट से चिपकाई गयी है उक्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्र0पी—12 के रोजनामचा सान्हा में ए से ए भाग की इबारत हाथ से लिखी गयी है एवं चिट से चिपकाई गयी है एवं शेष रोजनामचा सान्हा कार्बन प्रति है परन्तु प्र0पी—12 के रोजनामचा सान्हा में कार्बन प्रति की लिखावट में आरोपी जयकुमार को मोटरसाइकिल समेत पकड़ने तथा आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान अ0सा07 ने भी घटना दिनांक को विवेचना एवं इलाका गश्त के लिए झांकरी बस स्टैण्ड जाने तथा मोड़ पुलिया पर आरोपी जयकुमार से मोटरसाइकिल, कट्टा कारतूस जप्त किया जाना बताया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान घटनास्थल पर नहीं गया था आरोपी की ओर से उक्त तथ्य को चुनौतित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है एवं उक्त तर्क से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 20. जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान अ0सा07 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसने जप्तशुदा कट्टे का मानचित्र प्र0पी—11 बनाया था एवं उसने मानचित्र में यह नहीं लिखा है कि कट्टे पर काठ का बट एवं टेप नहीं लगा है परन्तु उक्त तथ्य मानचित्र में अंकित करना आवश्यक नहीं है एवं मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में

जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है आरोपी के विरुद्ध मात्र जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान अ0सा07 के कथन शेष हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी कमलेश अ०सा०१, जगदीश अ०सा०२, सुंदरसिंह अ०सा०३ एवं प्रेमसिंह अ०सा०५ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परन्त् मात्र इस आधार पर जप्तीकर्ता आर०एस०चौहान अ०सा०७ के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपृष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं तो मात्र इस आधार पर पुलिस कर्मचारियों के कथनों को अविश्सनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पृष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नाथुसिंह वि० म०प्र० राज्य ए.आई.आर. १९७३ स्.को. एस.सी. २७८३ भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पंच गवाहों के समर्थन न करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत काले बाबू वि० म०प्र0राज्य २००८ (४) एम.पी.एच.टी.३९७ में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अन्य साक्षीगण कहानी का समर्थन नहीं करते हैं मात्र इस कारण पुलिस अधिकारी की गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह वि० दिल्ली एडिमस्ट्रिशन (२००३)५ एस.सी.सी. 297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह ही लेना चाहिए विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पृष्टि के अभाव में पृलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

- 22. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि मात्र इस आधार पर कि स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि साक्षी कमलेश अ0सा01, जगदीश अ0सा02, सुंदरसिंह अ0सा03 एवं प्रेमसिंह अ0सा05 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है परन्तु साक्षी कमलेश अ0सा01, एवं जगदीश अ0सा02 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान अ0सा07 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 से भी हो रही है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थित में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 23. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता आर0एस0चौहान अ0सा07 ने अपने कथन में घटना दिनांक को इलाका गश्त एवं विवेचना में जाना तथा मोड़ पुलिया पर आरोपी जयकुमार को मोटरसाइकिल समेत पकड़ना एवं आरोपी जयकुमार से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए—1 का कट्टा तथा आर्टिकल ए—2 का कारतूस वही कट्टा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपी जयकुमार से जप्त किया था। प्र0पी—1 के जप्ती पंचनामे में भी आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी से 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का जिंदा कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। प्र0पी—12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आरोपी जयकुमार से कट्टा एवं कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता आर0एस0 चौहान अ0सा07 का कथन प्र0पी—1 के जप्ती पंचनामे एवं प्र0पी—12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है। परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा हैं। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी रिथति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

24. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जयकुमार ने दिनांक 29.03.11 को 10:45 बजे इटायदा पुलिया के पास गोहद रोड मौ में संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा।

## विचारणीय प्रश्न क0-2

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक को डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 को अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया। उक्त संबंध में जप्तीकर्ता आर0एस0 चौहान अ0सा07 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह इलाका गश्त एवं विवेचना करता हुआ झांकरी बस स्टैण्ड पर आया था तो दो लड़के बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 से आये थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें मोड पुलिया पर रोका था तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा लड़का कूदकर भाग गया था एंव मोटरसाइकिल चला रहे लंडके जैकी उर्फ जयकुमार को मौके पर पकड लिया था। जयकुमार ने भागने वाले लंडके का नाम गुड़डा बताया था एवं उसने जयकुमार के पास से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किया था। आरोपी जयकुमार के पास मोटरसाइकिल के कोई कागजात नहीं थे उसने मौके पर ही जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपी जयकुमार को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी–2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तू प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता आर०एस०चौहान अ०सा०७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसने आरोपी जयकुमार से मोटरसाइकिल जप्त की थी परन्तु उक्त साक्षी ने आरोपी जयकुमार से जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्र0पी–1 तैयार करना बताया है एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 में आरोपी जयकुमार से मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742के जप्त होने का उल्लेख है। आरोपी जयकुमार से जप्ती प्रमाणित है ऐसी स्थिति में मात्र उक्त तथ्य से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 26. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी सौरम एवं गुड़डा पर भी भा0द0स0 की धारा 403 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी गुड़डा मौके से भाग गया था परन्तु उक्त संबंध में कोई पंचनामा पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया है। आरोपी सौरम एवं गुड़डा से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी जयकुमार से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी—8, आरोपी सौरम से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी—7 एवं आरोपी गुड़डा उर्फ रणवीरसिंह से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी—5 बनाया गया है परन्तु मैमोरेण्डम प्र0पी—5, 7 एंव 8 के अनुसरण में कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में उक्त मैमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी सौरम एवं गुड़डा को मात्र मैमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में अभियोजित किया गया है आरोपी सौरम एवं गुड़डा को मात्र मैमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में अभियोजित किया गया है आरोपी सौरम एवं गुड़डा के विरुद्ध ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी सौरम एवं गुड़डा के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी सौरम एवं गुड़डा को भा0द0स0 की धारा 403 के अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी सौरम एवं गुड़डा को भा0द0स0 की धारा 403 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 27. जहां तक आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी का प्रश्न है तो आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी से प्र0पी—1 की जप्ती प्रमाणित है उपर वर्णित विवेचना से यह प्रमाणित है कि आरोपी जयकुमार से घटना दिनांक को 315 बोर का कट्टा कारतूस एवं मोटरसाइकिल जप्त की गयी थी। आरोपी जयकुमार उर्फ

जैकी से घटना दिनांक को मोटरसाइकिल क्रमांक एम०पी०-07-एम.सी.3742 जप्त होना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार आरोपी पर था कि उसके आधिपत्य में उक्त मोटरसाइकिल किस प्रकार आई क्योंकि उक्त तथ्य का विशेष ज्ञान मात्र आरोपी जयकुमार को ही था एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार ''जबिक कोई तथ्य विशेषतया किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।" प्रस्तुत प्रकरण में मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम. सी.3742 आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के आधिपत्य से जप्त हुई थी ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार कि उक्त मोटरसाइकिल उसके आधिपत्य में किस प्रकार आई आरोपी जयकुमार पर था। आरोपी जयकुमार द्वारा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोपी द्वारा जप्तश्दा मोटरसाइकिल के दस्तावेज भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आरोपी जयकुमार द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य, ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तृत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तश्दा मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 आरोपी जयकुमार के स्वामित्व की थी। आरोपी जयकुमार जप्तशुदा मोटरसाइकिल का स्वामी नहीं है। आरोपी द्वारा जप्तशुदा मोटरसाइकिल उसके आधिपत्य में होने संबंधी कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थित में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपी जयकुमार द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0–07–एम.सी.3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया गया है।

- फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जयकुमार ने डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम. सी.3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को भा0द0स0 की धारा 403 के आरोप में दोषी पाती है।
- समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सौरभ एवं गुडडा उर्फ रणवीर ने दिनांक 29.03.11 को 10:45 बजे मौ गोहद रोड इटायदा पुलिया के पास मौ में डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी सौरभ एवं गुड्डा उर्फ रणवीर को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा०द०स० की धारा 403 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जयकुमार ने दिनांक 29.03.11 को 10:45 बजे इटायदा पुलिया के पास मौ गोहद रोड मौ में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में संचालनीय स्थिति वाला 315बोर का जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा एवं डिस्कवर बजाज मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0–07–एम. सी.3742 का बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए एवं भा०द०स० की धारा 403 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया 31. गया। ELIZANIA NO

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

### पुनश्च:-

- आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी वर्ष 2011 से विचारण की पीड़ा को झेल रहा है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।
- आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना 315 बोर का कारतूस अपने आधिपत्य में रखा गया है एवं आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)ए के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भा०द0स० की धारा ४०३ के अंतर्गत ६ माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।
- िकारावास की सभी सजायें एक साथ चलेंगी। 34.
- प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.सी.3742 अपील अवधि पश्चात उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा राउंड अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय भिण्ड की ओर भेजा जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।
- आरोपी जयकुमार जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 30.03.11 से दिनांक 18.04.11 तक एवं दिनांक 06.07.17 से आज दिनांक 24.10.17 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान:- गोहद, दिनांक:-24.10.17 10) ATTACON STATES OF THE PROPERTY OF THE PROP निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)